



卷之二

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रायपुर (छ.ग.)

website-www.deorajourist.com, Email-deorajourist@gmail.com Phone No. - 0771-4270028

प्रधानमंत्री भवित्वा नवीनीकरण / 2023-24 / 186

१९८८ दिसेंबर ०५/०१/२०२४

REVIEWS / CRITIQUES

प्रदर्शक / उपस्थिति
जब नारायण हरिसाम गोदल चेरिटेबल इस्ट न्यू इंडिया मार्केट पाटीदार भवन के सामने पालाडीह
रायपत्र जिला-गारुपर (३० ग्र.)

एन एस आर्ट्स नरदेवा नियम विद्यालयभा मार्ग (CBSE)

विस्तृत—आराम, शिला-रायपर (उ.ग.)

विषय - नियुक्त और अनियुक्त वाल विद्या का अधिकार अधिनियम 2009 की पार 18 के प्रयोजन के लिये नियुक्त और वाल विद्या का अधिकार विधा 2009 के विधा 11 के उप-विधा (5) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्राप्ति-प्रयोग।

www.ohm.com

卷之三

आपके आवेदन पत्र की दिनांक-20.11.2023 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ परस्परात्मकी पत्राचार/निरीक्षण उपरान्त मैं एन.एच.गोपल नरदहा नियर विद्यानसामा मार्ग विर्ख. आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.) को रिहा सत्र- 2024-25 से 2026-27 हेतु 03 वर्ष की अवधि के लिए कक्षा-प्री प्रायमरी एवं 01ली से 12वीं CBSE (भाषायम-अंग्रेजी, गैर अनुदान गान्धी प्राय शास्त्र) तक के लिए अनंतिम गान्धी नवीनीकरण प्रदान करने की संश्वेता देता हूँ।

प्रधानमंत्री नियन्त्रित सभी के भवा नियोजनों के अनुसार है।

मानवता की विशेषता द्विसंस्कृति नहीं है और उसके अलावा भी जल में कई जलवीं के प्रयोग मानवता/संकटों करने के लिए योग्य तरीका नहीं है।

2. विद्यालय, नियुक्त और अविद्यार्थी ग्रन्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (परिशोध-२क) और नियुक्त और अविद्यार्थी ग्रन्त शिक्षा का अधिकार विधम, 2012 (परिशोध-२टो) के प्रत्येकों का पालन करेगा।

३. नियांग्रह, कला एक गे (या गद्य रिक्षति नवीरी वाला है) उस कक्षा में इन्होंने की चरण्या की २५ प्रतिशत उम्मीद आस-पढ़ीरा के जमलों वर्वों और युक्तियाँ-सिंहीन अमृत के बर्द्धे लों प्रधेश प्रदान करेगा और उन्हें नियुक्त और अनियाय प्राधिकारिक और अनियाय प्राधिकारिक पिलाता उसको पूरा ही जाने तक उत्तरवाद कराएगा। परन्तु यह और भी कि पूर्ण प्राधिकारिक कक्षाओं की समग्रते से भी इन मानकों का अवशालकन किया जायेगा।

परा-३ में निईट वचो के लिए विभाज्य को अधिनियम द्वारा १२ (२) के अनुशार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्ति पाप करों के लिए विभाज्य एक प्रकार दैन खलता रखेगा।

सोसायटी/विटाजात निर्वाचनी ईप्रिंटिंग मुल्क का समरूप नहीं करेगा और निर्वाचनी बाज़े या उत्तरके माला-पिता या संरक्षक ऐसी विभिन्न परिवारों के अधिकारीय नहीं करेगा।

विद्यालय, किसी वर्चे को उत्तमी अनुभूति सही न होने पर जागरण प्रवेश देने से इकाई नहीं करेगा और यह अधिकारियम्
वीकास के लिए आवश्यक है। विद्यालय विद्यार्थियों द्वारा निर्णयिता करेगा।

प्रवृत्ति दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उत्तम प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं हिला

2-2 वे एक अन्य विकल्प है जो आपको अपनी वाहनों की सुरक्षा के लिए बहुत उपयोगी बताता है।

a) दूसरे पार्टी का समर्थन करते हुए विभिन्न जनसंघों द्वारा आयोजित एक अवधि का बोलबाली का एक उदाहरण है।

प्राथमिक शिला पूरी होने तक कल्पना का वर्णन इस अधिकारी के द्वारा किया गया था।

२१ ज्ञानगता ।

अधिनियम के उल्लंघन के अनुसार विवरण दिया गया है।
अधिकारी की मर्ती अधिनियम की खाता 23 (1) के अधीन पद्धति अधिकारी चूमताम अहंकारी के साथ की जाती है परन्तु और भी कि विद्यान आयापक जिनके पास इस अधिनियम के प्राप्ति पर चूमताम अहंकार भी है 05 वर्ष की अवधि के दौरान सेवाएँ अद्वितीय होती है।

अधिक अधिनियम की पारा 24 (1) के अधीन प्रिंटेड गपने कर्तव्य का पालन करेंगे।

प्रमाणित दिन: १५.०५.२०१५ को अध्याच नं.

Principal

N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

जिला शिक्षा अधिकारी
१०५०।२४

रायपुर (छ.ग.)
यपुर, दिनांक ०५/०१/२०२४

- पुस्तकालय / भारतीय नवीनीकरण / 2023-24 / 187
प्रतिलिपि -

1. राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद् पश्चिम राज्यों को सुनायें।
 2. जिला नियन्त्रण समन्वयक जिला परिषद्यात्मक संस्थाएँ यात्री भैंस भैंस भैंस-लाप्पुर को सुनायें।
 3. विकासाधारण परिषद् अधिकारी अलग जिला राज्यों द्वारा को सुनायें।
 4. प्राचीन/नीडल अपेक्षारो शास्त्रार्थाति जिला लाप्पुर द्वारा को सहनायें।

जिला शिक्षा अधिकारी
श्राद्धपुर (उ.ग.)

ATTESTED

Principal
N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)



प्रारूप — तीन

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी

जिला—रायपुर (छ.ग.)



website-www.deoraipur.com, Email-deoraipurict@gmail.com, rmsaraipur@gmail.com
Phone No. - 0771-4002693

श्रेणीक्रम/मान्यता/नवीनीकरण/2020/ 5483
प्रलि.

रायपुर, दिनांक 25/11/2020

प्रबंधक /अध्यक्ष,
जय नारायण हरिशम गोयल चेरिटेबल ट्रस्ट न्यू टिम्बर सार्केट पाठीदार भवन के सामने फाफाडीह
रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
एन.एच.गोयल नरदहा नियर विद्यान सभा विद्यानसभा मार्ग विखंआरंग, जिला—रायपुर (छ.ग.)

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप-नियम (5) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण—पत्र।

—00—

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख 23.11.2020 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/नियोजन उपरांत मैं एन.एच.गोयल नरदहा नियर विद्यान सभा विद्यानसभा मार्ग विखंआरंग, जिला—रायपुर (छ.ग.) (माध्यम—अंग्रेजी) (विद्यालय का नाम पता सहित) को शिक्षा सत्र 2021–22 से 2022–2024 तक 03 वर्ष की अवधि के लिए कक्षा प्री—प्रायमरी एवं कक्षा पहली से आठवीं तक के लिए अनतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित रातों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है :-

1. मान्यता को स्वीकृति दिस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पहचान मान्यता/संबद्धता करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (परिशिष्ट—एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2012 (परिशिष्ट—दो) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा एक में (या यथा स्थिति नस्ती कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस—पड़ोस के कमजोर बर्गी और सुविधा—विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मानले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
4. पैरा—३ में निर्विवृत बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरित्या प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संयोग नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता—पिता या संस्कक को किसी स्कीमिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा ;—
(एक) प्रवेश विद्ये गये किसी भी बच्चे की विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निकालित नहीं किया जायेगा।
(दो) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
(तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
(चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 25 अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण—पत्र प्रदान किया जायेगा।
(पांच) अधिनियम के उपबन्धों व वे अनुसार निःशक्ति/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
(छ) अध्यापकों की भर्ती, अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनको पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे।
(सात) अध्यापक, अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन निर्विवृत अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

ATTESTED

कृपया पृष्ठ पलटिये

Principal
N. H. Goel World School
Nardaha, Rourkela (C.G.)

11/2/1

- (आठ) अध्यापक, स्वर्ग को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
 (नौ) भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-4 के अधीन विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुसर अग्नि सुरक्षा की घटकथा रखा परिवर्त हो।
 (दस) प्रतिवर्ष बच्चों से प्रमारित की जाने वाली कीस ऐसी रीति में अधिसूचित की जाए जो आयुक्त, राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निर्देशित की जाए तथा इसकी सूचना शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जाए।
7. विद्यालय समुदित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यवर्ता के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
 8. विद्यालय, अधिनियम की धारा 19 में धाराविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा। उसीम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं :-


विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	-
कुल निर्मित का क्षेत्र	-
खेत के मैदान का क्षेत्रफल	-
कक्षाओं की संख्या	-
प्रधानप्राठक-लह-कार्यालय-सह भण्डार के लिए कक्ष	-
बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	-
प्रेयजल सुविधा	-
मध्याह्न भोजन पकाने हेतु रसोई	-
बाधारहित पहुंच	-

- अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद के उपस्कर्ण/पुस्तकालय की उपलब्धता -
 9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।
 10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
 11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी हारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
 12. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
 13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा समन्वेता की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक दर्श जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
 14. आपके विद्यालय का वार्षिक मान्यता कोड संख्यांक नवीनीकरण 2020-झाईस कोड है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
 15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन के सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की क्रमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।
 16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
 17. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।
 (1) कक्षा आठवीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 (ख) एवं कक्षा नवमी से बारहवीं तक छत्तीसगढ़ शिक्षा संहिता अध्याय 10 नियम 125 में उल्लेखित शुल्क मान्य होगा।
 (2) स्थानीय व्यापार-पत्र (टी.सी.) में मान्यता का क्रमांक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
 18. मान्यता, अधिनियम की धारा 18 के अधीन नवीनीकरण के अध्यधीन रहेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी

पृष्ठांक/मान्यता/नवीनीकरण/2020/5484
प्रतिलिपि :-


1. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी आरंग जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थी।
 2. प्राचार्य/नोडल अधिकारी शास.उ.मा.वि. जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थी।


जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छत्तीसगढ़)
रायपुर, दिनांक: 25/11/2020

जिला शिक्षा अधिकारी


27/11/20

ATTESTED



जिला शिक्षा अधिकारी

रायपुर (छत्तीसगढ़)

N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर, छ.ग.



प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि - जय नारायण हरिराम गोयल चेरिटेबल ट्रस्ट न्यू टिम्बर मार्केट पाटीदार भवन के सामने फाफाड़ीह रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) पंजीयन क्रमांक 1418, दिनांक 13.05.2009 द्वारा संचालित शाला नाम एन.एच. गोयल नरदहा नियर विधानसभा मार्ग वि.ख. आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.) को कक्षा नवमी से बारहवीं तक नवीनीकरण विभागीय मान्यता (माध्यम-अंग्रेजी) पंजी अनुक्रमांक 5483.....दिनांक 25/11/20 पर वर्ष 2021-22 से 2023-2024 (03 वर्ष) की अवधि के लिए अरथाई मान्यता प्रदान की जाती है।

टीप:-

- (1) कक्षा पहली से कक्षा आठवीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18,19 एवं कक्षा नवमी से बारहवीं तक छ.ग. शिक्षा संहिता 10 नियम 125 में उल्लेखित मदों में शुल्क मान्य होगा।
- (2) स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) में मान्यता का क्रमांक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
- (3) छ.ग. माध्यामिक शिक्षा मण्डल के मान्यता नियम के शर्तों के पालन पश्चात ही अनुमति दी जावेगी।

डाईस कोड :-

जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छ.ग.)

ATTESTED

जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर, छ.ग.



॥ प्रमाण-पत्र ॥

प्रमाणित किया जाता है, कि— जय नारायण हरिराम गोयल डेबल ट्रस्ट न्यू टिम्बर मार्केट पाटीदार भवन के सामने फाफाड़ीह रायपुर, जिला—रायपुर (छ.ग.) पंजीक्रमांक 1418, दिनांक 13.05.2009

द्वारा संचालित शाला नाम एन.एच गोयल नरदहा नेयर विद्यानसभा, रायपुर (छ.ग.) को कक्षा नवमी एवं बारहवीं (माध्यम—अंग्रेजी) तक नवीननीकरण मान्यता पंजी अनुक्रमांक 663 दिनांक 28-01-2017 पर दिनांक 2017–18 से 2020–21 तक 05 वर्षों की अवधि के लिए अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है।

टी.सी.—

- (1) कक्षा पहली से कक्षा आठवीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18,19 एवं कक्षा नवमी से बारहवीं तक छ.ग. शिक्षा संहिता 10 नियम 125 में उल्लेखित मदों में शुल्क मान्य होगा।
- (2) स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) में मान्यता का क्रमांक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
- (3) छ.ग. माध्यामिक शिक्षा मण्डल के मान्यता नियम के शर्तों के पालन पश्चात ही अनुमति दी जावेगी।

डाईस कोड :—

ATTESTED

baw
जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छ.ग.)

Nardaha, Raipur (C.G.)



प्रारूप - तीन

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी

जिला—रायपुर (छ.ग.)



मध्यप्रदेश सरकार

website-www.deoraipur.com, Email-deoraipurict@gmail.com, rmsaraipur@gmail.com

Phone No. - 0771-4002693

/ मान्यता / नवीनी / / 2017 / 663

रायपुर, दिनांक : 22/1/2017

प्रबंधक / अध्यक्ष,

जय नारायण हरिराम गोयल चेरिटेबल ट्रस्ट न्यू टिम्बर मार्केट पाटीदार भवन के सामने फाफाड़ीह रायपुर, जिला—रायपुर(छ.ग.)

एन.एच गोयल नरदहा नेयर विद्यानसभा, रायपुर जिला—रायपुर (छ.ग.) (माध्यम—अंग्रेजी)

- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप-नियम (5) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण—पत्र।

—00—

।।। महोदया,

आपके आदेदन पत्र की तारीख 22-12-2016 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती नियम उपरांत में एन.एच गोयल नरदहा नेयर विद्यानसभा रायपुर, जिला—रायपुर (छ.ग.) (माध्यम—अंग्रेजी) (विद्यालय का नाम पता जाहित) का तारीख 2017-2018 से 2020-21 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी एवं पहली से आठवीं तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है —

मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात् मान्यता/संबंधिता करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (परिशिष्ट—एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2012 (परिशिष्ट—दो) के उपबन्धों का पालन करेगा।

विद्यालय, कक्षा एक में (या यथा स्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर घरों और सुविधा-विहीन सन्तुष्ट के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।

पैरा-3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता—पिता या संरक्षक को किसी स्कूलिनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आयु का संबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-

(एक) प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में केल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(दो) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 25 अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण—पत्र प्रदान किया जायेगा।

(पांच) अधिनियम के उपबन्धों व वे के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(छ) अध्यापकों की भर्ती, अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे।

(सात) अध्योपक, अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

कृपया पृष्ठ पलटिये

- (आठ) अध्यापक, स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
 (नौ) भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-4 के अधीन विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुरूप अग्रिम सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित हो।
 (दस) प्रतिवर्ष बच्चों से प्रभारित की जाने वाली फीस ऐसी रीति में अधिसूचित की जाए जो आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निर्देशित की जाए तथा इसकी सूचना शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जाए।

विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारित पाठ्यवर्ष के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
 विद्यालय, अधिनियम की धारा 19 में यैथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेंगा। अतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	-
कुल निर्मित का क्षेत्र	-
खेल के मैदान का क्षेत्रफल	-
कक्षाओं की संख्या	-
प्रधानपाटक—सह—कार्यालय—सह भण्डार के लिए कक्ष	-
बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	-
पेयजल सुविधा	-
मध्याह्न भोजन पकाने हेतु रसोई	-
बाधाहित पहुंच	-

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद के उपस्कर्ता/पुस्तकालय की उपलब्धता -

विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग क्षेत्र शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक पति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक नवीनीकरण 2017..... डाईस कोड..... है।

कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इए संख्यांक का उल्लेख करें।

विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुसार जो सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

सलान परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।

- १) कक्षा आठवीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 (ख) एवं कक्षा नवमी से बारहवीं तक छत्तीसगढ़ शिक्षा संहिता अध्याय 10 नियम 125 में उल्लेखित शुल्क मान्य होगा।
- २) स्थानांतरण प्रनाली—पत्र (टी.सी.) में मान्यता का क्रमांक एवं दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
- ३) मान्यता, अधिनियम की धारा 18 के अधीन नवीनीकरण के अध्यादीन रहेगी।

मात्र/मान्यता/नवीनी/...../2017/

परि:-

विकासखण्ड, शिक्षा अधिकारी घरसींवा/अमनपुर/आरंग/तिल्दा, जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ।
 प्राचार्य/नोडल, अधिकारी शास.उ.मा.वि. जिला रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छत्तीसगढ़)
 रायपुर, दिनांक : / / 2017

Receiving
 30/1/17

जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छत्तीसगढ़)



जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर (छ.ग.)
(जिला/राज्य का नाम)
कार्यालय दूरगाव : 0771-2427717, फैक्स : 0771-2439899

ज्ञाप क्र./मान्यता/नवीनीकरण/2011/ ५२०९
प्रति,

/दिनांक : ०७/०४/२०११

प्रबंधक/अध्यक्ष,
अम्बारपान एशियन गोपाल डेविल इलं शमपुर
इमारत, डोमल उद्योग परिवहन

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण—पत्र।



महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख ३०-०६-२०११ के सदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्यर्ती पत्राचार/निरीक्षण के उपरांत में २०-८०-८०-८०८०-३०८० (विद्यालय विद्यालय का नाम पता सहित) का तारीख २०११ से २०१४ तक तीन वर्षों की अवधि के लिए, कक्षा १[ी] से १२[ी] तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की सूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैं :-

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात् मान्यता/संबद्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
 2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (परिशिष्ट-एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 (परिशिष्ट-दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
 3. विद्यालय, कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के २५, प्रतिशत तक आस-पडोस के कमज़ोर वर्गों और सुविद्धा -विहीन समूल के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परंतु यह ओर भी ये पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
 4. पैसा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक दैक खाता रखेगा।
 5. सोसायटी/विद्यालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन करेगा।
- विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आयु का सहूत न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
- (एक)प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी (प्रारम्भिक) शिक्षा पूरी होने

ATTESTED

Jitendra
Principal
M. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

तक, किसी वक्ता में केल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कालित नहीं किया जायेगा।

परी) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्तीर्णन के अद्याधीन नहीं किया जाएगा।

(परी) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई शोर्ड वर्षीका उत्तीर्ण करने की अनुमति नहीं की जाएगी।

(धारा) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकाधित शिक्षण अनुसार एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।

(धारा) अधिनियम के उपबंधों वा के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकताओं वाले किटार्डी को प्रदेश दिया जायेगा।

(जल.) अध्यापकों की भर्ती, अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन वथा अधिकाधित न्यूनतम अवलोक्तों के साथ वी जाती है परन्तु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास हल अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अंतारं नहीं है 5वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम पाठ्यताएँ अर्जित करें।

(सिल.) अध्यापक, अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करें और

(जाड़) अध्यापक रथ्य छो किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करें।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधित पाठ्यवर्त्ता के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और समिक्षनों का जनावर रखेगा। ऊंचान निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं:

विद्यालय परिसर का अंतर्फल

खेल के मैदान वा अंतर्फल

वक्ताओं वी संख्या

शिक्षावाचक—सह—कार्यालय—सह—भण्डार के लिए कक्ष

वालकों और वालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

पेंजल सुविधा

नियान्ह भोजन पकाने हेतु रसोई

बाधारहित पहुँच

अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद को उपलक्ष्य/पुस्तकालय की उपलब्धता

अकादमी नहीं चलाई जाएगी।

9. विद्यालय भवनों वा अन्य संरचनाओं वा स्थलों का उद्योग स्थल विद्यालय के लिए जायेगा।

10. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1880 (1880 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्सन्य प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी और सम्पादन द्वारा चलाया जा रहा है।

11. विद्यालय को किसी वैद्यकिता, वैयक्तिक समूह या समय या किन्हीं अन्य व्यवित्रियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

ATTESTED

50

N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी आहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना आहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तीपांव किया जाना आहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक घर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी आहिए।
14. आपके विद्यालय को आवृत्त मान्यता कोड संख्याक H.S.C. ५८ है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्याक के उल्लेख दर्श।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशाल/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शालैं के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएँ।
16. जो साथटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, छो सुनिश्चित किया जाए।
17. सलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।

टीप :— स्थानांतरण प्रमाण—पत्र (टी.सी.) में भान्यता का कमाल एवं दिनोंका अनिवार्य रुप से अंकित किया जावे।


पृष्ठां के / मान्यता / नवीनीकरण / 2011 / ५२०
प्रतिलिपि :—

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ३७२० को सूचनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छ.ग.) ०१
/रायपुर, दिनोंका ०१/०५/२०११


जिला शिक्षा अधिकारी
रायपुर (छ.ग.) ०१

ATTESTED


Principal
N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)

जिला शिक्षा अधिकारी




प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2009-10 से


पंजीयन क्रमांक 290/18-10-2006

द्वारा संचालित

शाला नाम एन. एच. गोवल वर्ल्ड स्कूल, नरदहा, 20402
 को कक्षा पहली से पाँचवीं/आठवीं/दसवीं/बास्तवीं तक संचालन हेतु विभागीय
 मान्यता प्रदान कर अनुक्रमांक 1418 (अमृजा आच्युत) पर
 दिनांक 13-05-2009 को पंजीकृत किया गया है।


 जिला शिक्षा अधिकारी
 रायपुर (छ.ग.)

ATTESTED


 Principal
 N. H. Goel World School
 Nardaha, Raipur (C.G.)

जिला शिक्षा अधिकारी



प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2008-09

पंजीयन क्रमांक 290/18-10-2006

द्वारा संचालित

शाला नाम स्टॉन स्कूल गोथल बलड स्कूल, नरदहा
को कक्ष पहली से पांचवीं/आठवीं/दसवीं/बारहवीं तक संचालन हेतु विभागीय
माल्यता प्रदाव कर अनुक्रमांक 130 पर

दिनांक 30-05-2008 को पंजीकृत किया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी

रायपुर (छ.ग.)

ATTESTED



Principal
N. H. Goel World School
Nardaha, Raipur (C.G.)